

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

मांक/अकादमिक/सम्बद्धता/1225/2021

छतरपुर, दिनांक 19/7/21

अधिसूचना

जी०आई०एस० कॉलेज पथरिया जॉट जिला सागर जो पूर्व में डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से सम्बद्ध था। उनके आवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (XII) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 5 (j) तथा परिनियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12.07.2021 में की गई अनुसंधान के आधार पर कुलपति जी द्वारा सत्र 2021-22 के लिए उक्त महाविद्यालय को महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर से सम्बद्ध करते हुए निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष हेतु सशर्त निरंतरता प्रदान की जाती है।

क्रं	महाविद्यालय का नाम/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	रिमार्क
01	जी०आई०एस० कॉलेज पथरिया जॉट जिला सागर	बी०एड०	सभी अनिवार्य विषय	

1. महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन करना होगा।
2. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इंडोमेन्ट फंड की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रमाण 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

अदेशानुसार



कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक 19/7/21

पू०क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/1225/2021
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सागर, संभाग, सागर (म०प्र०)
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, सागर (म०प्र०)
4. प्राचार्य, जी०आई०एस० कॉलेज पथरिया जॉट जिला सागर (म०प्र०)
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
6. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. मूल नस्ती हेतु।


कुलसचिव 19.7.21

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)